फाइल नं0-71-3099/201/2020-03

142/2022/I/224776/2022

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनॉक 14 अक्टूबर, 2022**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में केन्द्र सहायतित योजना "इस्टैबलिशमेंट ऑफ न्यू मेडिकल कॉलेजेज अटैच्ड विद एक्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट/रेफरल हास्पिटल" (फेज-2) के अन्तर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, मीरजापुर के निर्माण कार्य हेतु राज्यांश के रूप में धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-मे0का0/2022-23/358, दिनांक 29.07.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त परिप्रेक्ष्य में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-20/2018/540/71-3-2018-एन0एम0-01/2018, दिनॉक 14-07-2018 द्वारा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, मीरजापुर के निर्माण कार्य हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 23297.28 लाख+जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त स्वीकृत लागत रू0 232.9728 करोड़+ जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय) के सापेक्ष विभिन्न शासनादेशों द्वारा कुल रू0 185.85 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है, जिनका विवरण निम्नवत् है-

क्र0सं0	शासनादेश संख्या व दिनॉक	धनराशि (रू0 करोड़ में)
1	संख्या-20/2018/540/71-3-2018-एन0एम0-01/2018, दिनॉक 14-07-2018	50.00 (केन्द्रांश)
2	संख्या-83/2019/1276/71-3-2019-एन0एम0-01/2018, दिनॉक 14-11-2019	43.00 (केन्द्रांश)
3	संख्या-61/2020/1012/71-3-2020-एन0एम0-01/2018, दिनॉक 30-09-2020	20.00 (राज्यांश)
4	संख्या-87/2020/1426/71-3-2020-एन0एम0-01/2018, दिनॉक 30-09-2020	20.00 (केन्द्रांश)
5	संख्या-29/2021/325/71-3-2021-एन0एम0-01/2018, दिनॉक 23.02.2021	40.00 (20 केन्द्रांश+20 राज्यांश)
6	संख्या-103/2021/ई-1763738/71-3-2021-एन0एम0-01/2018, दिनॉक 25-08-2021	12.85 (केन्द्रांश)
	योग	**185.85**

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, मीरजापुर के निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित लागत रू0 232.9728 करोड़+जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय) के सापेक्ष राज्यांश के रूप में रू0 18.34 करोड़ (रू0 अठारह करोड़ चौंतीस लाख मात्र) की धनराशि** निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0 /बैंक खाते/डाकघर में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जाएगा, अपितु आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा भौतिक प्रगति का विवरण समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 07.06.2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्थाओं केा दो-दो माह की आवश्यकतानुसार धनराशि निर्गत की जाए। विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकता के अनुसार ही किया जाए। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरांत अगले दो माह के लिए पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाए।
4. योजना हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. शासनादेश संख्या-20/2018/540/71-3-2018-एन0एम0-01/2018, दिनॉक 14-07-2018 में उल्लिखित अन्य शर्ते यथावत् लागू रहेंगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 18,34,00,000 (रुपये अठारह करोड़ चौंतीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031058908 मेडिकल कालेज, मीरजापुर **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-3-291/दस-2022-23, दिनांक 10 अक्टूबर, 2022 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

संख्याः-उपरोक्त तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, मीरजापुर।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
7. नियोजन-अनुभाग-4
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in